न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 24 / 2025

प्रार्थीगण

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रायमलराम वयस्क
2. खेमाराम पुत्र भीखाराम वयस्क
3. अमराराम पुत्र भीखाराम वयस्क
4. शेराराम पुत्र भीखाराम वयस्क
5. अणसीदेवी पत्नि भीखाराम वयस्क
6. आदुराम पुत्र लिखमाराम वयस्क
7. चेतनराम पुत्र लिखमाराम वयस्क
8. खेराजराम पुत्र पेमाराम वयस्क
9. जगमालराम पुत्र पेमाराम वयस्क
10. नारणाराम पुत्र पेमाराम वयस्क
11. भीखाराम पुत्र पेमाराम वयस्क
12. भानाराम पुत्र चौनाराम वयस्क
13. मीरा पत्नि पेमाराम वयस्क
14. पनीकुमारी पुत्री रायमलराम वयस्क
15. भंवरी पुत्री रायमलराम वयस्क
16. रुखिया फ्नी रायमलराम वयस्क
17. शान्ति पुत्री रायमलराम वयस्क जातियान जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र धीराराम वयस्क जातियान माली निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. भैरूसिंह पुत्र शंभूसिंह वयस्क
3. श्रवणसिंह पुत्र शंभूसिंह वयस्क जातियान राजपूत निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. किशनाराम पुत्र लूणाराम वयस्क
5. खेमाराम पुत्र लूणाराम वयस्क
6. जियाराम पुत्र लूणाराम वयस्क
7. पेमाराम पुत्र लूणाराम वयस्क
8. गेरोंदेवी पत्नि लूणाराम वयस्क जातियान मेघवाल निवासी खरिंगाकुआ, चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर
9. ओमाराम पुत्र बीजलाराम वयस्क
10. मोहनराम पुत्र बीजलाराम वयस्क
11. रमेशकुमार पुत्र बीजलाराम वयस्क
12. सुबटी पत्नि बीजलाराम वयस्क जातियान वाल्मीकी निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
13. उमीदेवी पत्नि हनुमान चौधरी वयस्क
14. गोमाराम पुत्र खीयााराम वयस्क
15. मानीदेवी पत्नि धमेन्द्र चौधरी वयस्क जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
16. संरपच ग्राम पंचायत डण्डाली
17. रेन्जर [illegible] सिणधरी
18. तहसील[illegible] सि[illegible] जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –17.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतो के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली के ग्राम डण्डाली में खसरा संख्या 183 रकबा 1.1164 हैक्टेयर खसरा संख्या 184 रकबा 26.0579 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 185 रकबा 1.6908 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी